

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी हु
9/10/22	<p>           पत्रावली में वकील बाही व बाही राम लाल एवं            बाही रामलाल के पुत्र ने उपरोक्त बेटा शर्मा            पत्र प्रस्तुत कर जी.सी. एम. एन. प्रकरण संख्या            2017/00225 को विद्धानुसार करने की अनुमति            मांगी गई इस पर पत्रावली को सीगट से            हलब की गई पत्रावली का एवं प्राथमिकता            का भवलीकन किया गया वकील बाहीगज को            सुना गया। बाद जांच सुनवाई के बाद प्रकरण            को विद्धानुसार करने की अनुमति प्रदान की            जाती है। पत्रावली में कार्यवाही को इसी            स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली            केवल सुमाट बेटा नम्बर से कम है         </p> <p style="text-align: center;"> <sup>५</sup>            उपखण्ड अधिकारी            डूंगला         </p>	रामलाल पुत्र बाही 21/10/22 H.S.

